भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2612

06.03.2020 को उत्तर के लिए

रेड सैंड बोआ सांप

2612. श्री एन. रेड्डप्पः

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि दुर्लभ गैर-जहरीले रेड सैंड बोआ सांप कुछ दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों को बनाने और काले जादू के लिए उपयोग किए जाते हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी भारी मांग है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे सांपों की अंधाधुंध हत्या और अवैध बिक्री के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) भविष्य में इस तरह की प्रजातियों की रक्षा के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में रेड सैंड बोआ सांप का उपयोग कुछ दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों को बनाने और काले जादू के लिए किए जाने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) और (ग) : वन्यजीवों के प्रबंधन और संरक्षण का कार्य संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान, राज्य वन और पुलिस प्राधिकरणों द्वारा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) को यथासूचित सैंड बोआ सांप के अवैध व्यापार के मामलों का ब्यौरा निम्नवत् है:-

क्रम सं.	वर्ष	मामलों की संख्या	अभियुक्तों की संख्या
1.	2017	11	25
2.	2018	18	43
3.	2019	10	25
	कुल	39	93

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा रेड सैंड बोआ सांप सहित सभी संरक्षित प्रजातियों की तस्करी में शामिल अपराधियों को पकड़ने हेतु राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर संयुक्त अभियान संचालित किए गए थे।

(घ) : रेड सैंड बोआ के संरक्षण हेतु उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

(i) बोआयडी प्रजाति के सभी सांपों, जिनमें रेड सैंड बोआ सांप शामिल है, को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV में सूचीबद्ध करके उन्हें शिकार और अवैध व्यापार से संरक्षण प्रदान किया गया है।

(ii) वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत वन्यजीवों से संबंधित मामलों की जांच में वन और पुलिस कार्मिकों के लिए क्षमता संवर्धन कार्यक्रम संचालित किए जाते रहे हैं।

(iii) राज्य एवं केंद्रीय एजेंसियों को जीवित सांपों की तस्करी सहित वन्यजीवों के अवैध शिकार एवं अवैध व्यापार के संबंध में चेतावनियां और परामर्शिकाएं जारी की गई हैं।

(iv) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्राधिकरणों द्वारा भी रेड सैंड बोआ सांप सहित जीवित सांपों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने हेतु उचित कार्रवाई की जा रही है।

****